उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने
न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य........................है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि.....5/1/26
को पेश हो।

(रीडर)

उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने
न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य........................है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि.....11/2/26
को पेश हो।

(रीडर)

वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई एवं राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने बाबत अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हम पक्षकारान में समझौता / राजीनामा हो चुका है एवं दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जावे। अतः शीघ्र सुनवाई प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सुना गया। मिसल तलब की गई। पत्रावली व राजीनामा का अवलोकन किया गया। चूंकि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं राजीनामा अनुसार दावा अंतिम डिक्री चाहते है एवं सहमति बाबत आवेदिका व राजीनामा व प्रार्थना पत्र पर अपने व गवाहान के हस्ताक्षर किये है। अतः न्यायहित में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (प्रार्थना-पत्र) स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल मिसल रहे। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 100 / 2024

शीर्षक

1. तीजा देवी पत्नि साधुराम यादव, जाति यादव, निवासी ढाणी सांखला की राजपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीया

बनाम

1. अनोखा राम पुत्र घीसाराम, जाति जाट, निवासी–195, मोहनपुरा नांगल चौधरी महेन्द्रगढ़, हरियाणा–123023
2. श्री लक्ष्मी महिमा कॉलोनाईजर प्रा0 लि0 पता– लक्ष्मी नगर बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 9.2.2026

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह कि हाल आराजी खसरा नं0–1725 / 1022 रकब 0.5971 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसका सम्पूर्ण रकबा पूर्व में प्रतिवादी सं0–2 के नाम दर्ज रहा है उक्त सम्पूर्ण रकबे मे से प्रतिवादी सं0–2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक–16.04.2021 को पूर्व दिशा मे हिस्सा 3750/5519 यानि 0.3750 है० भूमि वादीया को बेचान किया था एवं वक्त विकय वादीया का नाप जोख करके कब्जा सम्भला दिया था जिस पर वादीया बिना किसी बाधा के हाल आबाद काबिज काश्त है वादीया का वर्तमान खसरा नं0–1725/1022 ने हिस्सा 3750/5519 यानि 0.3750 है0 है शेष हिस्सा प्रतिवादी स0–1 व 2 का है उक्त भूमि को आगे के पैराज में विवादित भूमि के नाम से सम्बन्धित किया गया है। वादीया ने विवादित भूमि जरिये विक्रय पर खरीद किया था एवं वक्त खरीद वादीया को पूर्व दिशा में कब्जा सुपुर्द किया गया था विवादित भूमि दक्षिण में

सहायक कलक्टर

रोड से लगती है विवादित भूमि ने वादीया को राड से लगती उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा की भूमि बेचान की गयी थी जिस पर वर्तमान में वादीया बिना किसी बाधा के हाल आबाद काबिज काश्त है प्रतिवादीगण बाहुबली एव राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्ति है जो अपनी पहुँच का फायदा उठाकर भूमि का अपने फायदे के अनुसार बटवारा करने पर आमादा है वादीया अनपढ ग्रामीण परिवेश की पर्दाशील महिला है प्रतिवादीगण ने एकराय होकर हाल बसरा नं0–1725/1022 का आपसी सहमति से बटवारा लिख लिया एव वादी को यह कहकर कि उसे खसरा नं0–1725/1022 के पूर्वी दिशा में ही एकजाही भूमि दी जा रही है और अगुठा निशानी करवा ली बाद में राजस्व कर्मचारीयो द्वारा खसरा नं0–1022/2 में वादीया को भुमि दी जाने की जानकारी हुई तो वादी ने तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बटवारा नहीं करने का निवेदन किया एवं विधि अनुसार वादीया खसरा नं0–1022/2 में खातेदार नहीं है ना ही काबिज काश्त है उक्त खसरा नम्बर से वादीया का कोई लेना देना नहीं रहा है वादीया को रोड के लगती उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा की भूमि वक्त कय पत्र दी गयी है वादीया को उक्त भूमि ही बाहमी बटवारा में दी गयी है उक्त भूमि ही वादीया को विधिक बटवारे में दिया जाना उचित एवं न्यायोचित है। यहकि वादीया एवं प्रतिवादीगण को बाहमी बटवारे में इकजाही भूमि दी गयी थी ताकि वाद ग्रस्त भूमि के छोटे टूकडे नहीं हो एवं रकबे में आसानी से काश्त किया जा सके वादीया ने बाहमी बटवारे में प्राप् भूमि को काबिज काश्त व समतल उपजाऊ बनाया है जिसके कारण कालान्त में प्रतिवादी सं0–1 लगायत 2 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गयी है एवं वादी को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी ने बाहमी बंटवारे को स्वीकार करके अपने हिस्से पर हाल आबाद काबिज काश्त हो गये थे वादी अपनी भूमि पर काश्त करता है जिस पर भी नाजायज कब्जा करके अवैध निर्माण पर आमादा है प्रतिवादी सं0–1 लगायत 2 वादी के कब्जे काश्त में भी बेजा मजाहमद उत्पन्न करने लग गये है। यहकि वादीया को उबड खाबड भूमि दी गयी थी जिसको काफी रूपये खर्च करके काबिज काश्त एवं समतल व उपजाऊ बनाया है। यहकि प्रतिवादी सं0–1 लगायत 2 अपने हिस्से की भूमि को दीगर भूमाफिया व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है प्रतिवादीगण अच्छी अच्छी भूमि पर लठबल से कब्जा कर भूमाफिया लोगो को सम्भलान पर आमादा है प्रतिवादीगण अवैधानिक रूप से लठबल के आधार पर वादीया को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि से जबरन बेदखल कर देगे तो इससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि

सहायक कलक्टर

में किया जाना संभव नहीं होगा वादीया को उसकी खातेदारी अधिकारो की भूमि से महरूम होना पडेगा। यहकि वाद ग्रस्त भूमि का काफी समय पूर्व बाहमी बटवारा हो गया एव था वादीया को वक्त खरीद भी पूर्वी दिशा की भूमि की दी गर्नी थी वही भूमि बाहमी बंटवारे में दी गई है वादीया बाहमी बटवारे में प्राप्त भूरि पर काबिज काश्त है विधि अनुसार वादीया को उसके काबिज काश्त की भूमि विधिक बटवारे में दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0–1725/1022 रकबा 0.5971 है० वाकै ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का विधिक बंटवारा राजस्व नियमावली के अनुसार पूर्व में किये गये बाहमी बटवारे के अनुसार किया जाकर हाल आराजी खसरा नं0–1725/1022 रकबा 0.5971 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर मे से 0.3750 है० का वादीया को पृथक खातेदारी धोषित किया जावे एवं अलग खसरा नम्बर किया जावे एवं उक्त खसरा नम्बर में उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा की भूमि दी जाकर वादीया का पृथक से पर्चा खातेदारी बनाया जावे एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड एव नक्शे में किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे विधिक बटवारा में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें ना ही वादीया की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें ना ही उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न करे ना तो ऐसा वे स्वयं करे ना ही अपने नौकर एजेन्ट स्थानापन्न से ऐसा करवाये वादीया को उसके हिस्से की भूमि का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 23.12.2024 को जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद मनन बहस एवं अवलोकन उपरांत पत्रावली प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को दावा प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/6036 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना–पत्र बाबत् शीघ्र सुनवाई एवं राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हम पक्षकारान् (वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं उक्त राजीनामा से हम सहमत है। इसलिये शीघ्र सुनवाई प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण का राजीनामा अनुसार निस्तारण करने बाबत् निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष/पक्षकारान् सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पक्षकारान् के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से पक्षकारान् सहमत है एवं राजीनामा पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर है एवं राजीनामा अनुसार दावा अंतिम डिकी किये जाने की सहमति बाबत् पक्षकारान् ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा इस प्रकार है कि " उक्त सहमति पत्र में तीजा देवी पत्नि श्री साधुराम यादव निवासी राजपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 को प्रथम पक्ष से संबोधित किया गया है एवं श्री लक्ष्मी महिमा कालोनाइजर एलएलपी जरिये निदेशक विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल लक्ष्मी नगर, बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर को द्वितीय पक्ष से संबोधित किया गया है व श्री अनोखाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी प्लाट नंबर 195, मोहनपुर नांगल चौधरी महेन्द्रगढ हरियाणा 123023 को तृतीय पक्ष से संबोधित किया गया है एवं सहमति पत्र में यह समझौता हुआ है कि " **दिनाक 03.01.2026 को हमारे तीनों पक्षो के मध्य यह समझौता हुआ है कि पूर्व में मै० श्री लक्ष्मी महिमा कालोनाइजर एलएलपी जरिये निदेशक विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल निवासी लक्ष्मी नगर, बिदारा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज० कि ग्राम बिदारा पटवार हल्का बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज० में स्थित भूमि जिसके खसरा नं० 1725 / 1022 रकबा 0.5971 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 1950/1022 रकबा 0.5969 हैक्टेयर है। यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भूमि के खसरा न० 1950/1022 व 1725/1022 दोनो खसरों में से 0.3750 है० कि रजिस्ट्री करवानी थी लेकिन सहवन से खसरा नम्बर 1725/1022 में से ही रजि० मेरे (प्रथम पक्ष) के नाम से करवा दी थी। जो कि मौके पर दी गई भूमि के अनुसार नहीं हुई। अर्थात् प्रथम पक्ष के नाम खसरा**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर)

नं0 1725/1022 रकबा 0.5971 है0 में से 0.3216 है० एवं खसरा नं0 1950/1022 रकबा 0.5969 है0 में से 0.0534 है0 भूमि की रजिस्ट्री होनी थी जो सहवन से खसरा नं0 1725/1022 में से ही रकबा 0.3750 है० की प्रथम पक्ष के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। जो सही नहीं है। यह कि उक्त भूमि के बटवारे से संबंधित प्रकरण सं० 90/2024 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट्रेक शाहपुरा जिला जयपुर में प्रक्रियाधीन है। जिसमें हमारे तीनों पक्षो के मध्य आज दिनांक 07.02.2026 को आपसी सहमति से मुझे प्रथम पक्ष को निम्नानुसार भूमि दिया जाना तय हुआ है।

खसरा नं0 1725/1022 रकबा 0.5971 हैक्टेयर में से 0.3216 है० जिसकी सीमाए दक्षिणी पूर्व–पश्चिम 68 मीटर, उत्तरी पूर्व–पश्चिम 68 मीटर, पूर्वी उत्तर दक्षिण 51.28 मीटर व पश्चिम–उत्तर दक्षिण 43.32 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.3216 है० एव खसरा नम्बर 1950/1022 रकबा 0.5969 है0 में से 0.0534 है० जिसकी सीमाएं दक्षिण पूर्व–पश्चिम 68 मीटर उत्तरी, पूर्व–पश्चिम 68 मीटर पूर्वी उत्तर दक्षिण 3.87 मीटर व पश्चिम–उत्तर दक्षिण 11.83 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0534 है० अर्थात उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरों में कुल 0.3750 है० भूमि उपरोक्त नाप अनुसार दिया जाना तीनो पक्षो के मध्य सहमति हो गयी है जिसके लिए तीनो पक्ष उक्त समझौते पत्र एवं नजरी नक्शे में कलर भरकर व हस्ताक्षर करके न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट्रेक शाहपुरा जिला जयपुर में पेश कर बटवारे हेतु एवं द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष शेष रही भूमि को सामलाती रूप में रखने में सहमत है। अर्थात खसरा नम्बर 1725/1022 में शेष रही भूमि 0.2755 है० शामलाती रहेगी। जिसमें द्वितीय पक्ष का हिस्सा 1319/2755 व तृतीय पक्ष का हिस्सा 1436/2755 रहेगा तथा खसरा नं० 1950/1022 में द्वितीय पक्ष का रकबा 0.5435 हैक्टेयर रहेगा। इस समझौते पत्र की शर्तों को मानने के लिए हमारे प्रतिनिधि एजेन्ट, वारिसान पाबन्द व बाध्य रहेगें। यदि तीनो पक्षों में कोई भी पक्ष उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो एक दूसरे पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।''

वरवक्त अवलोकन राजीनामा/सहमति पत्र न्यायालय के यह संज्ञान में आया है कि उक्त मूल वाद केवल मात्र आराजी खसरा नंबर 1725/1022 रकबा 0.5971 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि के विभाजन हेतु पेश हुआ है, किन्तु राजीनामा में वादीया को आराजी खसरा नंबर 1950/1022 जो कि खसरा नंबर 1725/1022 के लगते हुए है, उसमें से भी भूमि दी गई जबकि वादीया उक्त आराजी खसरा नंबर 1950/1022 की

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहखातेदार नहीं है। गौरतलब है कि अन्य आराजी खसरा नंबर में पक्षकार सहखातेदार नहीं हो तो अन्य आराजी खसरा नंबर में से भूमि दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। चूंकि अब पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामें में अपनी सहमति दी है कि राजीनामें अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है तो इसें कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 1950/1022 रकबा 0.5969 है0 में से 0.0534 है0 भूमि वादीया को राजीनामें में दे रहे है तो उक्त दी गई भूमि का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क लिये जाने उपरांत ही उक्त भूमि दी जा सकती है। अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र शीघ्र सुनवाई एवं राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने बाबत् न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण का राजीनामें अनुसार निर्णय किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप प्रस्तुत वाद राजीनामा एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं सहमति पत्र/समझौता पत्र/राजीनामा में वर्णित आराजी खसरा नंबर 1725/1022 रकबा 0.5971 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि में से 0.3216 है0 (सीमाओं का विवरण सहमति पत्र में है) एवं आराजी खसरा नंबर 1950/1022 रकबा 0.5969 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में से 0.0534 है0 (सीमाओं का विवरण सहमति पत्र में है) किता 2 कुल रकबा 0.3750 है0 भूमि वादीया के हिस्से में रहेगी एवं खसरा नंबर 1725/1022 में शेष रही भूमि 0.2755 है0 शामलाती रहेगी, जिसमें द्वितीय पक्ष का हिस्सा 1319/2755 व तृतीय पक्ष का हिस्सा 1436/2755 रहेगा तथा खसरा नंबर 1950/1022 में द्वितीय पक्ष का रकबा 0.5435 है0 रहेगा। तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है कि वादीया को आराजी खसरा नंबर 1950/1022 रकबा 0.5969 है0 में से 0.0534 है0 जो भूमि दी गई है उसका स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क वसूलने के उपरांत ही उक्त पक्षकारान के मध्य सहमति पत्र के अनुसार बंटवारा किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस आशय का पत्र तहसीलदार शाहपुरा को जारी हो। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा/सहमति–पत्र व नजरी नक्शा इस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान् इस सहमति–पत्र से पाबंद रहेंगे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 8

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 100 / 2024

शीर्षक

1. तीजा देवी पत्नि साधुराम यादव, जाति यादव, निवासी ढाणी सांखला की राजपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीया

बनाम

1. अनोखा राम पुत्र घीसाराम, जाति जाट, निवासी–195, मोहनपुरा नांगल चौधरी महेन्द्रगढ़, हरियाणा–123023
2. श्री लक्ष्मी महिमा कॉलोनाईजर प्रा0 लि0 पता– लक्ष्मी नगर बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 9.2.2026

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप प्रस्तुत वाद राजीनामा एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं सहमति पत्र/समझौता पत्र/राजीनामा में वर्णित आराजी खसरा नंबर 1725/1022 रकबा 0.5971 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि में से 0.3216 है0 (सीमाओं का विवरण सहमति पत्र में है) एवं आराजी खसरा नंबर 1950/1022 रकबा 0.5969 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में से 0.0534 है0 (सीमाओं का विवरण सहमति पत्र में है) किता 2 कुल रकबा 0.3750 है0 भूमि वादीया के हिस्से में रहेगी एवं खसरा नंबर 1725/1022 में शेष रही भूमि 0.2755 है0 शामलाती रहेगी, जिसमें द्वितीय पक्ष का हिस्सा 1319/2755 व तृतीय पक्ष का हिस्सा 1436/2755 रहेगा तथा खसरा नंबर

सहायक कलक्टर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

1950/1022 में द्वितीय पक्ष का रकबा 0.5435 है0 रहेगा। तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है कि वादीया को आराजी खसरा नंबर 1950/1022 रकबा 0.5969 है0 में से 0.0534 है0 जो भूमि दी गई है उसका स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क वसूलने के उपरांत ही उक्त पक्षकारान के मध्य सहमति पत्र के अनुसार बंटवारा किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस आशय का पत्र तहसीलदार शाहपुरा को जारी हो। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा/सहमति–पत्र व नजरी नक्शा इस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान् इस सहमति–पत्र से पाबंद रहेंगे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 9.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

ाद के खर्चे

ादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.